न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 19.10.2022

अपील संख्या 2022/188

उनवान

हरिचरण आयु 57 वर्ष पुत्र भगवानलाल, जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. निम्मा पुत्र भगवानलाल, जाति कोली निवासी अजरोंडा तहसील शाहबाद
2. मुन्नी पुत्री भगवानलाल, पत्नि धर्मू जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद, हाल निवासी खैरोना, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
3. खैरी पुत्री भगवानलाल, जाति कोली, निवासी खुशीयारा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
4. गुड्डी पुत्री भगवानलाल पत्नि मुरारी, जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री आलोक गोयल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

दिनांक : 31.07.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 24/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अजरोंडा, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 158/612 रकबा 15.00 बीघा, खसरा नं. 390/593 रकबा 1.13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 16.13 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 से वादी का वाद खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सर्वथा न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गब्बोबाई पत्नी स्वर्गीय काशीलाल, जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद के खाते दर्ज है इनका देहान्त हो चुका है। गब्बोबाई वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 की सगी मॉ है जिनके पति का देहान्त होने के पश्चात पति के भाई काशीलाल से नातविवाह कर लिया काशीलाल से इनके कोई संतान नहीं होने के कारण गब्बोबाई व काशीलाल ने वादी को अपना पुत्र बनाकर अपने साथ रख लिया।

31/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी विवादित आराजी को काशीलाल के पुत्र की हैसियत से काश्त करने लगा तथा उनकी मृत्यु उपरान्त मुखाग्नी तथा समस्त क्रियाकर्म बहैसियत पुत्र वादी ने ही किये तथा उनकी पत्नी गब्बोबाई की भी ता उम्र वादी ने पुत्रवत सेवा सुश्रुषा की तथा मृत्यु उपरान्त मुखाग्नी तथा समस्त क्रियाकर्म बहैसियत पुत्र वादी ने ही किये विवादित आराजियात काशीलाल की मृत्यु के उपरान्त गब्बोबाई को प्राप्त हुई। गब्बोबाई हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विवादित आराजियात की एक मात्र पूर्ण स्वामी हो गई और गब्बोबाई ने वादी की सेवा से प्रसन्न होकर विवादित आराजियात की एक प्रथम एवं अंतिम रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.07.2007 को वादी के पक्ष में करा दी। गब्बोबाई की मृत्यु के बाद से वादी विवादित आराजियात को बहैसियत मालिक काश्त करता चला आ रहा है और उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादी विवादित आराजियात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने का हकदार है जिसका वाद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर न कर विधि विरूद्ध एवं मनमाना निर्णय पारित किया है जो सर्वथा न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के पिता श्री भगवानलाल के खाते की नहीं है बल्कि श्री काशीलाल जी के खाते की भूमि है जिनकी वारिस बेवा गब्बोबाई थी इसलिए काशीलाल के मरने के बाद उक्त आराजी गब्बोबाई के खाते दर्ज हुई जो उसकी धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्वअर्जित सम्पत्ति हुई जिसकी वसीयत करने को गब्बोबाई पूर्ण रूप से सक्षम थी। गब्बोबाई ने वैधानिक रूप से हरिचरण वादी को वसीयत का निष्पादन कराकर व प्रमाणीकरण कराकर पंजीयन करायी है इसलिए गब्बोबाई की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अपीलांट हरिचरण एक मात्र खातेदार टीनेन्ट है। अतः उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिन्दू विधियां पेज 4, ए.आई.आर. 2008 (एस.सी.) पेज 1467, आर.आर.डी. 14.01.2016 पेज 14, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 पेज 95 की नजीरे उद्धरत की।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अभिलिखित किया कि "यह निर्विवाद साबित है कि विवादित आराजी मूलतः काशीलाल के खाते की है, जो गब्बोबाई को विरासतन प्राप्त होने से गब्बोबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है, जिसकी वसीयत करने का कानूनन गब्बोबाई को कोई वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः गब्बोबाई द्वारा वादी के हक में की गई वसीयत दिनांक 04.07.2007 एक अमान्य तथा प्रभावशून्य दस्तावेज से

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिक कुछ नहीं है, जो प्रतिवादी 1 ता 4 के विरूद्ध बेअसर तथा प्रभावशून्य है। जिससे वादी को कोई वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त विश्लेषण के आधार पर वादी विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं पाया जाता है।"

वाद में अपीलांट के पक्ष में प्रस्तुत वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है तथा वसीयत को किसी न्यायालय में चुनौती दिये जाने का कोई तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी गब्बोबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं मानने से गब्बोबाई को वसीयत करने का अधिकारी भी नहीं माना गया तथा इसी आधार पर वसीयत को अमान्य तथा प्रभावशून्य दस्तावेज करार दिया गया।

अपील में मुख्य प्रश्न यह तय किया जाना है कि क्या गब्बोबाई काशीलाल से प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी (absolute owner) होकर उसे वसीयत करने का अधिकार रखती थी।

आर.टी.एक्ट की धारा 39 के अनुसार "**A khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding shall devolve in accordance with the personal law to which he is subject**"

अतः श्रीमती गब्बोबाई की सम्पत्ति के संबंध में निर्णय तक पहुंचने हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1958 की धारा 14 तथा 15 का अवलोकन किया गया। धारा 15 में निर्वसियत मरने वाली हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति के संबंध में उत्तराधिकार का क्रम वर्णित किया गया है।

धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार "**Any property possessed by a female Hindu, whether required before or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner.**"

इस सन्दर्भ में ए.आई.आर. 2008 एस.सी पेज 1467 "**widow inheriting property of her husband on his death Becomes its absolute owner**" हमारा मार्गदर्शन करता है।

अतः उक्तानुसार विवादित आराजी श्रीमती गब्बोबाई की **absolute property** प्रकट होने से उसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्रकट होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि की सही विवेचना नहीं किये जाने से त्रुटिपूर्ण सिद्ध होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

हरिचरण आयु 57 वर्ष पुत्र भगवानलाल, जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0)

अपीलांट्स

बनाम

1. निम्मा पुत्र भगवानलाल, जाति कोली निवासी अजरोंडा तहसील शाहबाद
2. मुन्नी पुत्री भगवानलाल, पत्नि धर्मू जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद, हाल निवासी खैरोना, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
3. खैरी पुत्री भगवानलाल, जाति कोली, निवासी खुशीयारा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
4. गुड्डी पुत्री भगवानलाल पत्नि मुरारी, जाति कोली, निवासी अजरोंडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

रेस्पोडेंट्स

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **13.08.2022**

अपील नं **2022 / 188**
मु.द.नं0 **24 / 2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **10 माह 07 सन् 2024**

श्री **आलोक गोयल** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित** ।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 निरस्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **31 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

31/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)